

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:एफ.1419 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1898

दिनांक :- 9/7/18

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1419 सीसी/स्वा.का.पु./2017/503 दिनांक 27.02.18 के द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका सं० 22163/17 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 06.12.17 की पालना में श्रीमति संज्या देवी पत्नि स्व. श्री हरिनारायण चौहान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुये 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला/ए.सी.पी. क्रमशः 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत की गई थी, को एतद् द्वारा अतिक्रमित किया जाकर उक्त वर्णित चयनित वेतन श्रृंखला/ए.सी.पी. उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.) पद पर समायोजित/पदाभिहित/रिडेजिग्नेट होने की तिथि से सेवा की गणना कर स्वीकृत की जाती है।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं


राज. जयपुर

दिनांक : 9/7/18

क्रमांक:एफ.1419 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1898

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
5. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जयपुर-प्रथम।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
9. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर